न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 134/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00291

अनवान

1. रामनारायण पिता जगन्नाथ जी जाति सुथार, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. लक्ष्मण पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. उदयलाल पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मुकेश पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील 'मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मदन पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. बबलू पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. कमली पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. बन्दुड़ी पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. दुर्गा पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भागवन्ती पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पनकीबाई पत्नी स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

11. हरिराम पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. गणेश पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. लोगर पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. गुड्डी पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. नानजी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. नानीबाई पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. लोगरी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. देवा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. चेतन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. मदन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. रेखा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. तुलसी पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. कनीबाई पत्नी स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. पटवारी, पटवार हल्का मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या : 135/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00292

अनवान

1. श्री रामनारायण पिता जगन्नाथ जी जाति सुथार, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. हरिराम पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गणेश पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लोगर पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. गुड्डी पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. नानजी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. देवा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. चेतन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. मदन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. रेखा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. तुलछी पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. कनीबाई पत्नी स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी पटवार हल्का मेड़ती, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

13. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.03.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गाडवा, पटवार हल्का मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर के खाता संख्या 170 पर दर्ज आराजी नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता 8 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का 1/36 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम संयुक्त रूप से हिरसेनुसार खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता खेमा पिता देवा, प्रतिवादी संख्या 5 नानजी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के पिता/पति मोती पिता देवा ने रूपयों की आवश्यकता होने से वादगत कृषि भूमि में अपने मृतक पिता देवा के नाम दर्ज भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हक हिस्से को अर्थात करीब साढ़े पांच बिस्वा भूमि को दिनांक 16.08.1990 को 6,000/–छः हजार रूपये में मुझ वादी के पिता जगन्नाथ पिता मोडीराम जी सुथार को विक्रय कर दी और विक्रेतागण खेमा, नानजी, मोती ने मुझ वादी के पिता जगन्नाथ पिता मोड़ीराम जी सुथार के पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा विक्रित कृषि भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया। इसी प्रकार उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में खातेदार खेमा, नानजी, रामा, गोतम, मोती पिता देवा, रूपाबाई बेवा देवा के नाम पर 1/24 हक हिस्सेनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज थी जिसमें से खातेदार रामा, गोतम पिता देवा रावत, रूपाबाई बेवा देवा रावत को रूपयों की आवश्यकता होने से रामा, गोतम एवं रूपाबाई तीनों ने वादग्रत कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण 1/48 हक हिस्से को दिनांक 16.03.1996 को 2,800/– दो हजार आठ सौ रूपये में मुझ वादी को विक्रय कर दी और विक्रेतागण रामा, गोतम पिता देवा, रूपाबाई बेवा देवा ने मुझ वादी के पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा विक्रित कृषि भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से विक्रेताओ की उक्त भूमि को मुझ वादी ने इसी जमीन में निहित अपने हक हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

जमीन में मिलाकर मौके पर एकचक बनाकर कुलिया जमीन पर मुझ वादी का अपने परिवारजन सहित निरन्तर लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी मुझ वादी व मेरे परिजनों ने काफी खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस जमीन को आवादान की है तथा आज भी मैं वादी अपनी उक्त क्रयसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 23 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। तब से इस जमीन पर मुझ वादी के पिता जगन्नाथ पिता मोडीराम जी सुथार काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये तथा मुझ वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि मुझ वादी को प्राप्त होने पर मुझ वादी ने इस जमीन को इसी जमीन में निहित अपने अन्य हक हिस्से की जमीन में मिलाकर मौके पर एकचक बना दिया और निर्बाध रूप से कुलिया जमीन पर मैं वादी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर लगातार शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी मुझ वादी व मेरे परिजनों ने काफी खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस जमीन को आवादान की है तथा आज भी मैं वादी उक्त क्रयसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ जिसमें प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। मुझ वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु पश्चात् मैं वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपनी अन्य भूमि में सम्मिलित कर एकचक बनाकर परिवारजन सहित निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन मुझ वादी के पिता ग्रामीण परिवेश में निवास करने की वजह से अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर खातेदारी में अंकित कराने की कानूनी जानकारी नही होने की वजह से अपनी क्रयसुदा जमीन अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से दर्ज नही करा सकें।

2. यह कि मुझ वादी की क्रयसुदा कृषि भूमि मुझ वादी के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए रद्दोबदल नहीं हो सकने के कारण मुझ वादी की क्रयसुदा भूमि विक्रेता रामा, गोतम पिता देवा एवं रूपाबाई बेवा देवा के नाम पर दर्ज रह गई और विक्रेता रामा पिता देवा के [illegible] होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने जानबुझकर यह जानते हुए कि उक्त कृषि भूमि में उनके पिता या उनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purcadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

कोई हक हिस्सा नही है फिर भी रामा पिता देवा के निधनोपरान्त विरासत के नामान्तरकरण संख्या 437 के जरिए रामा पिता देवा के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दी। इसी प्रकार विक्रेता गौतम पिता देवा के लाऔलाद फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 10, प्रतिवादी संख्या 15 से 23 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता खेमा ने भी सभी वास्तविक तथ्यों को जानते हुए गौतम पिता देवा के हिस्से की भूमि को विरासत के नामान्तरकरण संख्या 438 के जरिए अपने–अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दी तथा इसी प्रकार रूपाबाई बेवा देवा के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 10, प्रतिवादी संख्या 15 से 23 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता खेमा ने पुनः सभी वास्तविक तथ्यों को जानते हुए रूपाबाई बेवा देवा के हिस्से की भूमि को भी विरासत के नामान्तरकरण संख्या 457 के जरिए अपने–अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दी तथा खेमा पिता देवा के फौत होने पर खेमा के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 से 14 ने खेमा के नाम दर्ज भूमि को विरासत से अपने नाम पर दर्ज करवा ली। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त परिवर्तनों से मुझ वादी का क्रयसुदा हिस्सा वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम पर दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का मुझ वादी की क्रयसुदा जमीन में कभी कोई हक अधिकार कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 23 द्वारा मुझ वादी की क्रयसुदा कृषि भूमि बाबत् जो भी परिवर्तन करवाये गये है वह सभी मुझ वादी के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। मुझ वादी की खरीदसुदा जमीन वर्तमान में मेरे नाम पर अंकन नही होने से मुझ वादी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 23 भी उक्त गलत अंकन की आड़ लेकर मेरे हक हिस्से की जमीन को नाजायज तरीके से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला हैं। क्योंकि मुझ वादी ने खातेदार रामा, गोतम पिता देवा एवं रूपाबाई बेवा देवा से उनके हक हिस्से की भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है और [illegible] खरीदने के बाद से ही मैं वादी अपनी क्रयसुदा जमीन को [illegible] अन्य [illegible]दारी की जमीन में मिलाकर काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rajasthan
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और काफी खर्चा कर एवं मेहनत मजदूरी कर अपनी जमीन को आवादान किया है। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रीत कृषि भूमि मुझ वादी को अपने नाम पर अंकन कराने की जानकारी नही होने से भूमि विक्रेता खातेदारान के नाम दर्ज रह गई और विक्रेता खातेदारान के फौत होने पर उनके वारिसान ने मेरी क्रयसुदा जमीन को अपने नाम पर विरासत से रद्दोबदल करवा ली और वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे अपने मौरूस द्वारा बेची हुई जमीन अपने नाम पर अंकन हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं मुझ वादी को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का मेरी खरीदसुदा हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर पाबन्द करवाने का अधिकारी हूँ कि वादी की क्रयसुदा जमीन जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम दर्ज है उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 23 रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, नुकसान नहीं पहुँचावे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 24 से 26 को भी पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 23 द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे, न नामान्तरकरण खोले, न स्वीकृत करें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आका जाना असंभव होगा।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 10.11.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने मुझ वादी के पिता की खरीदसुदा जमीन अन्य को बेचने एवं मुझ वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से वाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

5. अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम दर्ज भूमि में मुझ वादी को दोनो पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जायें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 23 अपने नाम पर अंकित भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादी के पिता द्वारा खरीदी गई भूमि का वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, कब्जा नहीं, प्रवेश नही करे, वादी को बेदखल नहीं करे, नुकसान नही पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

6. दोनो प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। दोनो प्रकरणो में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने दोनो वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री स्वयं का प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा गाडवा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 174 प्रदर्श 1, मौजा गाडवा की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 170 प्रदर्श 2, असल विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1996 प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए तथा द्वितीय वाद पत्र में असल विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1990 प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए करवाए गए। दोनो वाद पत्र में साक्ष्यवादी गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री रमेशचन्द्र पिता भगवानलाल का पेश किया गया।

7. दोनो प्रकरणों में अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई थी। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में क्रय की गई भूमि में वादी का नाम अंकित नहीं किया गया, अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दोनो वाद स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Ramadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रदर्श – 1 ग्राम गाडवा पटवार हल्का तुलसीदासजी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 170 पर दर्ज आराजी नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता 8 कुल रकबा 0.9065 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10, 15 से 23 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के मौरूस खेमा के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 3 ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1990 से प्रतिवादी संख्या 15, प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता खेमा पिता देवा, प्रतिवादी संख्या 18 से 22 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 23 के पति मोती पिता देवा द्वारा अपने हिस्से को वादी के पिता को विक्रय कर दिया गया, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि को वादी के पिता के नाम दर्ज नही की गई। तत्पश्चात दो विक्रेताओ का निधन होने से विरासत का नामान्तरकरण पारित कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी का पिता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक से ही क्रय की गई भूमि का खातेदार हो चुका था। वादी के पिता के निधन के पश्चात वादी खातेदार हो चुका था।

इसी प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1996 से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 10 के पति रामा, प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के मौरूस गौतम पिता देवा, रूपा बाई बेवा देवा द्वारा वादी रामनारायण पिता जगन्नाथ सुथार को विक्रय कर दिया गया। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी द्वारा क्रय किये गये हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम पर दर्ज नही की गई। बल्कि विक्रेताओ की मृत्यु होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण पारित कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी उक्त भूमि का क्रय दिनांक से ही क्रय की गई हिस्सा भूमि का खातेदार हो चुका था।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1990 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1996 से उक्त भूमि का खातेदार वादी हो चुका है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही हुआ था। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही करना राजस्व कर्मचारियों की भूल है। इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Sunadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट है कि दोनो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बाद किये गये सभी परिवर्तन अवैध है। चुंकि दोनो प्रकरणो में प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दोनो प्रकरणो में ही उपस्थिति नही दी गई। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि वादी के दोनो वाद को स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी के दोनो वाद स्वीकार योग्य पाये जाते है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि ग्राम गाडवा पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता 8 कुल रकबा 0.9065 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10, 15 से 23 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता खेमा पिता देवा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी रामनारायण पिता जगन्नाथ को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

प्रकरण संख्या 135/20 (वाद) रामनारायण बनाम हरिराम वगैरह में भी निर्णय एवं डिक्री की प्रति संलग्न की जावे।

दोनो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (एसडीओ)
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 134/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00291

अनवान

1. रामनारायण पिता जगन्नाथ जी जाति सुथार, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. लक्ष्मण पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. उदयलाल पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मुकेश पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील 'मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मदन पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. बबलू पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. कमली पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. बन्दुड़ी पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. दुर्गा पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भागवन्ती पिता स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पनकीबाई पत्नी स्व० रामा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. हरिराम पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. गणेश पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. लोगर पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. गुड्डी पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. नानजी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

16. नानीबाई पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. लोगरी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. देवा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. चेतन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. मदन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. रेखा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. तुलसी पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. कनीबाई पत्नी स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. पटवारी, पटवार हल्का मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या : 135/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00292

अनवान

1. श्री रामनारायण पिता जगन्नाथ जी जाति सुथार, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. हरिराम पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गणेश पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लोगर पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. गुड्डी पिता स्व० खेमा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. नानजी पिता स्व० देवा जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. देवा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. चेतन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

8. मदन पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. रेखा पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. तुलछी पिता स्व० मोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. कनीबाई पत्नी स्व० गोती जी जाति रावत, आयु वयस्क, निवासी गाड़वा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी पटवार हल्का मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वादी के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि ग्राम गाडवा पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 किता 8 कुल रकबा 0.9065 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10, 15 से 23 एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता खेमा पिता देवा के नाम 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी रामनारायण पिता जगन्नाथ को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (एसडीओ)
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested